International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 61-62

1950 की भारत – नेपाल शांति व मैत्री संधि के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण

Rashmi Meena
Department Of Political Science, University Of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India

प्रस्तावना

भारत और नेपाल के बीच दिनांक 31 जुलाई सन् 1950 को शांति व मैत्री संधि सम्पन्न हुई। यह ऐतिहासिक अति महत्वपूर्ण संधि दोनों देशों की पारस्परिक सद्भावना से जुड़ी हुई थी इसने दोनों देशों के संबंधों को आधारभूत ढाँचा प्रदान किया। यह संधि केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही नहीं की गई थी, वरन् इसमें पारस्परिक प्राचीन संबंधों की घनिष्ठता, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, अन्तर्निर्भरता समाहित थी। आपसी संबंधों को भविष्य में और प्रगाढ़ बनाने, एक दूसरे देश के हितों की रक्षा करने, नागरिकों के प्रति समान राष्ट्रीय व्यवहार, समान सुरक्षा व्यवस्था, व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से यह संधि बहुत महत्वपूर्ण थी। संधि के लिए दोनों देश उत्साहित थे। अनेक उद्देश्य तथा आशाएँ भी इससे जुड़ी हुई थी।

संधि का उद्देश्य

1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो नेपाल के साथ विशेष संबंधों के आधार पर किसी प्रकार की नई संधि करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही थी और इसीलिए 1947 में नेपाल के साथ यथास्थिति समझौता किया गया किंतु दो वर्ष पश्चात् ही परिस्थितियों में परिवर्तन होने लगा साम्यवादी शक्ति के रूप में चीन का अभ्युदय, उसका हिमालयी राज्यों पर अधिकार का दावा, और मुख्यतया तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना आदि कुछ ऐसे कारण थे जिनको देखते हुए भारत को नेपाल को नेपाल के प्रति अपनी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। नेपाल में आंतरिक अस्थिरता का दौर भी चल रहा था राणा शासन अब प्रभावी नहीं रह गया था। प्रजातांत्रिक शक्तियाँ आन्दोलनरत् थी। दूसरी तरफ शीतयुद्ध की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में रूस व अमेरिका नेपाल में रूचि लेने लगे थे आर्थिक पिछड़ापन या ऐसे वातावरण में बाहरी शक्तियाँ नेपाल में आसानी से अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकती थी इससे भारत की सुरक्षा को भी खतरा पैदा होने की संभावना थी।

भारत का दृष्टिकोण

बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत को अपने सामरिक हित को दृष्टिगत रखते हुए पडौसी देश के प्रतिनीति में सुरक्षा के तत्व को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया था वहाँ अभी तक किसी प्रकार की प्रतिनिधि मूलक संस्थाए नहीं बन पाई थी। केवल नेपाल में प्रजातंत्र के लिए आंदोलन चल रहा था। अतः भारत को शंका थी कि इस क्षेत्र में राजतंत्र, तथा तानाशाही ऐसी स्थिर तथा मतबूत सरकारें नही दे पाएगी, जो कि उग्रवादी तथा साम्यवादी आंदोलनों का सामना कर पाए। भारत यह भी चाहता था कि यहाँ की सरकारें, भारत विरोधी किसी भी शक्ति को इस क्षेत्र में न तो पनपने दे, और न ही उससे निर्देशित हो। इसीलिए इन देशों को अपनी सुरक्षा परिधि में लाने के उद्देश्य से भूटान के साथ 8 अगस्त 1949 को, नेपाल के साथ 31 जुलाई 1950 तथा सिक्किम के साथ 5 दिसम्बर 1950 को संधियां की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी नीति को और स्पष्ट करते हुए 22 मार्च 1949 को इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली में नेहरू ने कहा था ''हमारी विदेश नीति केवल पडौसी देशों तक सीमित नहीं है। परंतु पड़ौसी देशों के एक दूसरे के लिए विशेष हित होते है। इसलिए भारत को अपने पडौसी देशों जो जमीन व समुद्र से जुड़े हुए है। जैसे चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, मलेशिया, इण्डोनेशिया व श्रीलंका के साथ संबंधों को विशेष हितों के दृष्टिकोण से देखना होगा।''

इस तरह नेहरू का दृष्टिकोण पडौसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना था। नेपाल से विशेष संबंध स्थापित किए गए, और शांति व मित्रता की संधि की गई। निश्चित रूप से संधि करने में भारत का मूल उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था यद्यपि संधि करने के पीछे यह भावना भी थी कि बदले हुए परिप्रेक्ष्य में प्राचीन संबंध, आपसी घनिष्ठता, आर्थिक अन्तर्निर्भरता व परस्पर राजनैतिक हित पहले की भाँति संचालित होते रहे। भारत का उद्देश्य यह था कि नेपाल भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी में सम्मिलित हो जाए। इससे उत्तर की ओर से चीन के बढ़ते खतरे, व शीतयुद्ध के प्रभाव से भारत को सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा नेपाल की सुरक्षा में निहित थी। नेपाल को संधि के द्वारा अपने सुरक्षा क्षेत्र में लेना आवश्यक था संधि के प्रावधानों के माध्यम से भारत ने अपना सामरिक हित स्पष्ट किया, और इस बात पर जोर दिया कि नेपाल वस्तुस्थिति को समझे, और भारत की सुरक्षा का ध्यान रखे। संधि का उद्देश्य नेपाल को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना तथा दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के समीप लाना भी था व्यापारिक सुविधाएँ, करो में छूट इत्यादि के माध्यम से नेपाल की आर्थिक उन्नति के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया दोनों देशों के नागरिकों को समानता के आधार पर एक दूसरे देश में सुविधाएँ प्राप्त हो, यह व्यवस्था भी की गई।

नेपाल का दृष्टिकोण

संधि करने में दोनों देशों के उद्देश्य और हित निहित रहते है। जिस प्रकार भारत का संधि करने के पीछे एक विशेष उद्देश्य व दृष्टिकोण था, उसी प्रकार नेपाल के भी अपने निहित स्वार्थ थे। उस समय नेपाल में राणा शासन था जिन्होंने 104 वर्षों तक निर्बाध शासन किया था और इस दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ उनके संबंध मधुर रहे थे। स्वतंत्र भारत से भी वे इसी प्रकार के संबंधों की आशा रखते थे। परंतु वे जानते थे कि भारत का झुकाव प्रजातांत्रिक शक्तियों की ओर है। फिर भी उन्होंने भारत का सहयोग पाने के लिए प्रयत्न किया, ताकि पहले की भांति अपनी सत्ता को

सुरक्षित रख सके। दूसरी तरफ चीन से नेपाल को भी भय था क्योंकि तिब्बत पर अधिकार के बाद अब चीन की रूचि नेपाल की तरफ हो सकती थी। जैसा कि माओत्से तुंग ने कहा था। ''तिब्बत हथेली है और सिक्किम, भूटान, नेपाल, लद्दाख तथा नेफा अंगुलिया है। जब हथेली स्थिर हो जाएगी, तब हम अंगुलियाँ मरोडेंगे'' यह भय मोहन शमशेर के लिए भारत की तरफ झुकाव के लिए पर्याप्त था, तथा इसने राणाओं को भारत के साथ संधि के लिए प्रेरित किया। नेपाल का आर्थिक पिछडापन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी नेपाल के शासक यह जानते थे कि नेपाल को अब अधिक समय तक पिछडेपन व अलगाव में नहीं रखा जा सकता था परिवर्तन की मांग स्पष्टतः दृष्टि गोचर हो रही थी। ऐसी स्थिति में जबकि एक भू–अवस्थित देश के रूप में नेपाल की अपनी समस्याएँ थी। भारत को वह एक भरोसेमंद साथी के रूप में बनाना चाहता था। सक्षेंप में नेपाल के दृष्टिकोण को निम्न बिंदुओं में समाहित किया जा सकता है।

1. नेपाल चाहता था कि भारत उसकी प्रभुसत्ता व स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप में स्वीकार करे व मान्यता दे।
2. चीन के भय से नेपाल, भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को औपचारिक स्वरूप देना चाहता था।
3. नेपाल आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए भारत की सहायता निरंतर प्रक्रिया के रूप में प्राप्त करने का इच्छुक था।
4. नागरिकता संबंधी सुविधाएँ भी वह भारत से प्राप्त करना चाहता था।
5. राणा शासक नेपाल पर अपने प्रभुत्व को बनाएँ रखने के लिए भारत का सहयोग चाहते थे।

संधि का प्रस्तावः

संधि की आवश्यकता दोनों देशों द्वारा महसूस की जा रही थी परन्तु संधि का प्रस्ताव पहलें किसके द्वारा रखा गया? पहल किसके द्वारा की गई ? इस विषय पर नेपाल में चर्चा करते हुए, साक्षात्कार के दौरान, प्रमुख विदेश नीति मर्मज्ञ, पूर्व प्रधानमंत्री, पत्रकार, प्रमुख शासनविद् एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री के विचारों से यही तथ्य सामने आया कि, प्रस्ताव के लिए पहल भारत द्वारा की गई। इन सभी के विचार इस संबंध में यही थे कि, भारत में राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, स्वतंत्रता के पश्चात् बदलते संदर्भ में अन्य देशों की भांति नेपाल से भी संधि के माध्यम से संबंधों का आधार निश्चित करना था और उत्तर से सम्भावित खतरे के मद्देनजर नेपाल से संधि कर भारत सामरिक हितों को सुनिश्चित करना चाहता था। उक्त विचार सत्य प्रतीत होते है कि संधि के लिए दोनों देश इच्छुक थे, परंतु पहल भारत द्वारा की गई। स्वतंत्रता के पश्चात् संबंधों को आधार प्रदान करने हेतु यह कदम उठाना आवश्यक था क्योंकि स्वतंत्र भारत के नेपाल से संबंध ब्रिटिश भारत के नेपाल से संबंधों से भिन्न थे।

संदर्भ सूचीः

1. जवाहर लाल नेहरू, स्पीचेज, न्यू देहली वोल्यूम – 1 पृ. 249, 252
2. संगीता थपलियाल, इण्डियाज सिक्योरिटी रिलेशंस विद नेपाल, पेपर प्रेजेन्टेड इन साउथ एशिया स्टड़ी सेन्टर, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर।
3. ऋषिकेश शाह, मार्डन नेपाल, ए पॉलिटिकल हिस्ट्री, 1769–1955 वाल्यूम 11, मनोहर पृष्ट 196
4. ए.एस. भसीन, नेपाल्स रिलेशंस विद इण्डिया एण्ड चाइना : डोक्यूमैन्टस वाल्यूम 1 1947 – 1992 पृ0 38
5. नेपाल में नवभारत टाइम्स के सम्पादक रामाशीश से साक्षात्कार के आधार पर
6. 1950 की शांति व मैत्री संधि परिशिष्ट में देखें।
7. नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री, दिल्ली रमन रेग्मी ने साक्षात्कार में स्वीकार कि सुरक्षा की दृष्टि से संधि से जुड़े पत्र को 1950 में प्रकाशित न करना ही उचित था।
8. निर्मला अग्रवाल, भारत – नेपाल संबंध, पृष्ट 61–70